रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33002/99 REGD. No. D. L.-33002/99

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राजपत्र
सत्यमेव जयते
Delhi Gazette

एस.जी.-डी.एल.-अ.-10032022-234050
SG-DL-E-10032022-234050

असाधारण
EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 145]	दिल्ली, बुधवार, मार्च 9, 2022/फाल्गुन 18, 1943	[रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 511
No. 145]	DELHI, WEDNESDAY, MARCH 9, 2022/PHALGUNA 18, 1943	[N. C. T. D. No. 511

भाग IV
PART IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

कला, संस्कृति एवं भाषा विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 9 मार्च, 2022

सं. फा. 13(84)/2020/एसीएल/1533.—गृह मंत्रालय, भारत सरकार की दिनांक 24 सितम्बर, 1968 की अधिसूचना संख्या एस.ओ. 3532 के साथ पठित भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा दिनांक 9 मार्च 2009 की अधिसूचना संख्या फा. 13(18)/99/क.सं. एवं भाषा/2089 द्वारा अधिसूचित पंजाबी, हिन्दी, उर्दू, संस्कृत,सिन्धी तथा मैथिली—भोजपुरी अकादमी में सचिव के पद के लिये भर्ती नियमों के अधिक्रमण में, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल एतद्द्वारा कला, संस्कृति एव भाषा विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के अन्तर्गत, पंजाबी, हिन्दी, उर्दू, संस्कृत, सिन्धी तथा मैथिली—भोजपुरी अकादमियों, एक स्वायत्त निकाय में सचिव के पद की भर्ती पद्धति को नियमित करने के लिये निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. **संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारंभ** :— (1) इन नियमों को सचिव, पंजाबी, हिन्दी, उर्दू, संस्कृत, सिन्धी तथा मैथिली—भोजपुरी अकादमी भर्ती नियमावली, 2022 कहा जाएगा।

(2) ये दिल्ली राजपत्र में अपने प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे।

2. **पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण तथा वेतन मैट्रिक्स में वेतन स्तर** :—उक्त पद की संख्या, इनका वर्गीकरण तथा वेतन मैट्रिक्स में वेतन स्तर इन नियमों के साथ संलग्न अनुसूची के कॉलम (2) से (4) में यथा—विनिर्दिष्ट होंगे।

3. **भर्ती पद्वति, आयु–सीमा, योग्यता इत्यादि** :–उक्त पद की भर्ती पद्धति, आयु सीमा, योग्यताएं एव इससे संबंधित अन्य मामले उक्त अनुसूची के कॉलम (5) से (11) में यथाविनिर्दिष्ट होंगे।

4. **अयोग्यता** :–ऐसा कोई भी व्यक्ति

(क) जो कि किसी व्यक्ति के जीवित पति/पत्नी के होते हुए विवाह करता है या विवाह का अनुबंध करता है, या

(ख) जो एक जीवित पति/पत्नी के होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह कर चुका है या विवाह अनुबंध कर चुका है,

वह उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा।

शर्त यह है कि यदि सरकार संतुष्ट है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति एवं विवाह के अन्य पक्षकार पर लागू व्यक्तिगत कानून के अंतर्गत अनुमत है और इस बात से संतुष्ट हो जाने पर कि ऐसा करने के लिये विशेष आधार है किसी भी ऐसे उम्मीदवार को इस नियम के प्रवर्तन की छूट दे सकेगा।

5. **शिथिल करने की शक्ति** :–जहां सरकार का यह मत हो कि ऐसा करना आवश्यक अथवा समीची न है, तो आदेश द्वारा तथा कारणों को अभिलेख बद्ध करते हुए सक्षम प्राधिकारी के परामर्श से व्यक्तियों की किसी श्रेणी या वर्ग के संबंध मेंइननियमों के उपबंधों में से किसी को भी शिथिल कर सकेंगे।

6. **बचावः**–इन नियमों की किसी भी बात का भारत सरकार द्वारा इस संबंध में समय–समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ावर्गों, भूतपूर्व सैनिको तथा अन्य विशेष वर्गों के व्यक्तियों के लिये उपबन्धित किये जाने के लिये आरक्षण अपेक्षित आयु सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

<u>**अनुसूची**</u>

1.	**पदनाम**	:	सचिव
2.	**पदों की संख्या**	:	06* (2022) प्रत्येक अकादमी में एक 1. सचिव (पंजाबी अकादमी) 2. सचिव (हिन्दी अकादमी) 3. सचिव (उर्दू अकादमी) 4. सचिव (संस्कृत अकादमी) 5. सचिव (सिन्धी अकादमी) 6. सचिव (मैथिली–भोजपुरी अकादमी) *इसमें परिवर्तन कार्यभार पर निर्भर है।
3.	**वर्गीकरण**	:	श्रेणी 'क' (अलिपिकीय)
4.	**वेतन स्तर**	:	स्तर–11 (67700 – 208700/–रुपये)
5.	**क्या चयन पद है अथवा गैर चयन पद है।**	:	लागू नहीं।
6.	**सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए आयु सीमा**	:	लागू नहीं।
7.	**सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों से अपेक्षित शैक्षिक तथा अन्य योग्यताएं**	:	लागू नहीं ।
8.	**क्या सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए निर्धारित शैक्षिक योग्यता एवं आयु सीमा पदोन्नति वाले उम्मीदवारों पर भी लागूहोगी।**	:	लागू नहीं ।

9.	**परीवीक्षा की अवधि, यदि कोइ हो।**	:	लागूनहीं ।
10.	**भर्ती की पद्धति।**	:	प्रतिनियुक्ति (लघु–अवधि संविदा सहित) द्वारा।
11.	**यदि पदोन्नति / प्रतिनियुक्ति / स्थानान्तरण द्वारा भर्ती होनी होतो ग्रेड जिनसे पदोन्नति / प्रतिनियुक्ति / स्थानान्तरण किया जाना है।**	:	**प्रतिनियुक्ति (लघु–अवधि संविदा सहित)** केन्द्र / राज्य सरकार / केन्द्रशाषित राज्य / स्वायत निकाय / सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम / अनुसंधान संस्थान / विश्वविद्यालय के अधिकारीय क. (i) नियमित आधार पर समरूप पद धारण करने वाले; अथवा (ii) 7वें वेतन आयोग के अनुसार वेतन मैट्रिक्स के स्तर–10 (56100–177500 / – रुपये) मे नियमित आधार पर पद पर नियुक्ति के उपरांत पांच वर्ष की नियमित सेवा सहित ; अथवा (iii) 7वें वेतन आयोग के अनुसार वेतन मैट्रिक्स के स्तर–9 (53100–167800 / – रुपये) में नियमित आधार पर पद पर नियुक्ति के उपरांत पांच वर्ष की नियमित सेवा सहित ; अथवा (iv) 7वें वेतन आयोग के अनुसार वेतन मैट्रिक्स के स्तर–8 (47600–151100 / – रूपये) में नियमित आधार पर पद पर नियुक्ति के उपरांत छःवर्ष की नियमित सेवा सहित ; अथवा (v) 7वें वेतन आयोग के अनुसार वेतन मैट्रिक्स के स्तर–7 (44900–124200 / –रुपये) में नियमित आधार पर पद पर नियुक्ति के उपरांत सात वर्ष की नियमित सेवा सहित ; तथा (ख) निम्नलिखित शैक्षिक योग्यताएं एवं अनुभव रखने वालेः **अनिवार्य :** I. किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से संबंधित भाषा मे स्नातकोत्तर उपाधि अथवा समकक्ष । II. प्रशासनिक एवं वित्तीय मामलो में कम से कम दस वर्ष का अनुभव (वेतन मैट्रिक्स के स्तर–7 मे वेतन रैंक से कम न हो)। **वांछनीय :** 1. संबंधित भाषा में कम से कम दो प्रकाशन एवं पांच लेख होने चाहिए। 2. कम से कम दसवर्ष के लिए उक्त भाषा के प्रति गहरा लगाव एवं समर्पित प्रोन्नति का प्रामाणिक ट्रेक रिकार्ड एवं इस क्षेत्र में साहित्यिक व्यक्ति द्वारा मान्यता। 3. सम्मेलन, समारोह, कार्यक्रम, सांस्कृतिक विनिमय के आयोजन में नेतृत्व एवं पर्यवेक्षण का अनुभव । 4. न्यूनतम दो राष्ट्रीय तथा पांच राज्य स्तरीय साहित्यिक / सांस्कृतिक कार्यक्रम के आयोजन का अनुभव। 5. संबंधित साहित्य / भाषा में पी. एच. डी. । **टीप–1:** केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन / विभाग में इस नियुक्ति से तुरन्त पूर्वधारित किसी अन्य गैर संवर्ग पद में प्रतिनियुक्ति (लघु–अवधि संविदा सहित) की अवधि भी सम्मिलित है, यह सामान्यतः तीन वर्षों से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति (लघु–अवधि संविदा

			सहित) पर स्थानान्तरण द्वारा नियुक्ति हेतु अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्ति की अन्तिम तारीख को छप्पन (56) वर्षों से अधिक नहीं होगी।
12.	**यदि कोई विभागीय पदोन्नति समिति हो तो इस की संरचना क्या है?**	:	**चयन बोर्ड** 1. वित्तीय आयुक्त–अध्यक्ष 2. प्रशासनिक सचिव , कला, सं0 एवं भाषा विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार–सदस्य 3. विशेष/अपरसचिव (सा0प्र0वि0), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार–सदस्य 4. संबंधित अकादमी के अध्यक्ष द्वारा नामित संबंधित भाषा के क्षेत्र में दो विशेषज्ञ–सदस्य
13.	**वे परिस्थितियॉ जिनमें भर्ती के लिए संघ लोक सेवा आयोग का परामर्श लिया जाना है।**	:	लागू नहीं।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश से तथा उनके नाम पर,

स्वाति शर्मा, सचिव (कला, संस्कृति एवं भाषा)

DEPARTMENT OF ART, CULTURE AND LANGUAGES

NOTIFICATION

Delhi, the 9th March, 2022

F. No. 13(84)/2020/ACL/-1533.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution of India, read with Government of India, Ministry of Home Affair's notification number S.O. 3532 dated the 24th September, 1968 and in supersession of the recruitment rules for the post of Secretary in Punjabi, Hindi, Urdu, Sanskrit, Sindhi and Maithili-Bhojpuri Academy notified vide notification No. F.13(18)/99/ACL/2089 dated 9th March, 2009, the Lieutenant Governor of the National Capital Territory of Delhi is pleased to make the following rules regulating the method of recruitment to the post of Secretary in Punjabi, Hindi, Urdu, Sanskrit, Sindhi and Maithili-Bhojpuri Academy, autonomous bodies under the Department of Art, Culture & Languages, Government of National Capital Territory of Delhi, namely:-

1. **Short Title and Commencement.**

   (1) These rules may called the Punjabi, Hindi, Urdu, Sanskrit, Sindhi and Maithili-Bhojpuri Academy for the post of Secretary, Recruitment Rules, 2021.

   (2) They shall come into force on the date of their publication in the Delhi Gazette.

2. **Number of Posts, its classification and level in pay matrix.**

   The number of the said post, its classification and level in pay matrix attached thereto shall be as specified in column (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age limit, qualification etc.**

   The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating to the said post, shall be as specified in the columns (5) to (11) of the said Schedule.

4. **Disqualifications.**

   No persons, -

   (a) Whohas entered into or contracted marriage with a person having a spouse living; or

   (b) Who having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person, shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax.

Where the Government is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may, by order, for reasons to be recorded in writing, and in consultation with the Competent Authority, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving.

Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Other Backward Classes, Ex-Servicemen and other special categories of persons in accordance with orders issued by Government of India from time to time, in this regard.

SCHEDULE

1.	Name of the Post.	Secretary
2.	Number of Posts.	06* (2021) One in each academy :- 1. Secretary (Punjabi Academy) 2. Secretary (Hindi Academy) 3. Secretary (Urdu Academy) 4. Secretary (Sanskrit Academy) 5. Secretary (Sindhi Academy) 6. Secretary (Maithili-Bhojpuri Academy) * Subject to variation dependent on workload.
3.	Classification.	Category 'A' (Non-Ministerial)
4.	Pay Level.	Level - 11 (Rs. 67700-208700)
5.	Whether Selection Post or Non-Selection Post.	Not Applicable
6.	Age limit for direct recruits.	Not Applicable
7.	Educational and other qualifications required for direct recruits.	Not Applicable
8.	Whether age and Educational Qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of the promotees.	Not Applicable
9.	Period of Probations, if any.	Not Applicable
10.	Method of Recruitment.	Deputation (Including Short Term Contract)
11.	In case of recruitment, by promotion/ deputation/ transfer grade from which promotion/ deputation/ transfer to be made.	**Deputation (including short term contract)** 1. Officers from the Central/ State Govts./ UTs/ Autonomous Bodies/ PSUs/ Research Institutions/ Universities; (a)(i) holding analogous posts on regular basis; or (ii) with 5 years regular service in posts in Rs. 56100-177500 (Level-10) of the Pay Matrix as per 7^{th} CPC or (iii) with 5 years regular service in posts in Rs. 53100-167800 (Level-9) of the Pay Matrix as per 7^{th} CPC or (iv) with 6 years regular service in posts in Rs. 47600-151100 (Level-8) of the Pay Matrix as per 7^{th} CPC or

		(v) with 7 years regular service in posts in Rs. 44900 – 142400 (Level-7) of the Pay Matrix as per 7th CPC; and (b) possessing the following educational qualifications and experience : **Essential:** I. Post graduate degree in respective language from recognized university or equivalent. II. At least 10 years experience in administrative and financial matters (not below the rank having pay in the Level-7 of Pay Matrix). **Desirable :** 1. Must have at least two publications and five articles in the respective language. 2. Proven track record of passionate engagement and dedicated promotion of the said language for at least 10 years and recognized by the literary figures in the field. 3. Experience of leadership & supervision in organizing conferences, events, programs and cultural exchanges. 4. Experience in organizing minimum two National and five State Level Literary/Cultural Functions. 5. Ph.D. in respective Literature/Language. **Note 1** :- Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization/ department of the Central Govt. shall ordinarily not to exceed 4 years. The maximum age limit for appointment by transfer on deputation (including short-term contract)/transfer shall be not exceeding 56 years, as on the closing date of receipt of applications.
12.	If a DPC exists, what is its composition.	**Selection Board** 1. Financial Commissioner - **Chairman** 2. Administrative Secretary, Department of Art, Culture & Languages, Govt. of NCT of Delhi - **Member** 3. Special/Additional Secretary (GAD) – **Member** 4.Two experts in the field of respective language to be nominated by the Chairman of respective academy - **Members**
13.	Circumstances in which UPSC is to be consulted in making recruitment.	Not Applicable

By Order and in the Name of the Lieutenant Governor
of the National Capital Territory of Delhi,

SWATI SHARMA, Secy. (Art, Culture & Languages)

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR Date: 2022.03.10 22:28:07 +05'30'